यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट**, **उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट**, **उत्तरकाशी** के माह **जून 2017 से दिसम्बर 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **28/01/2019 से 06/02/2019** तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्व श्री आर एन यादव, डीके मट्टू, राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री नीरज चुरंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 19/06/2017 से 01/07/2017 तक में संपादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 12/2015 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखो की समान्यत: जांच की गई थी ।

1. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

2. **बजट**

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	2059, 2216, 2245, 3054, 5054, 8443	-	2582.89	2582.89	2582.89	0
2016-17		-	1809.51	1809.51	1781.51	0
2017-18		-	1542.94	1542.94	1220.70	0

2018-19 (12/2018)		-	2186.54	2186.54	1260.12	926.42

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह दिसम्बर 2017 और मार्च 2018 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य सारीगाड़ गातु मुलागाँव का निर्माण कार्य को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 26/02/2018 से 29/02/2018 को निरीक्षण किया गया।

2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2018 तक की गई।

3. फार्म 51: माह 06/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - ₹ 67072.00

भाग द्वितीय - ₹ 1655796.00

4.खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 688693.00

(ख) सामग्री क्रय – Nil

(ग) नगद परिशोधन - Nil

(घ) निक्षेप- ₹ 17718013.00

(ङ) भण्डार- (-)₹ 318919.00

भाग-2(अ)

प्रस्तर:1- नौगाँव–पौंटी–राजगढ़ी मोटर मार्ग हेतु भूमि प्रतिकर का अनियमित भुगतान `83.50 लाख।

वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी जो सरकारी खजाने से व्यय करता है या व्यय करने का प्राधिकार देता है को वित्तीय औचित्य के उच्च मानको का अनुकरण किया जाना चाहिए। "प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि, सरकारी खजाने से धन व्यय करने में उतनी ही सतर्कता बरते जितना कि कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपना स्वयं का धन खर्च करने में बरतता है"

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड (लो. नि. वि.), बड़कोट, उत्तरकाशी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (जनवरी 2019) मे पाया कि, नौगाँव–पौंटी–राजगढ़ी मोटर मार्ग एक मुख्य जिला मार्ग है जिसकी कुल लम्बाई 30.00 किमी है। उक्त मार्ग के प्रथम 10 किमी का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य शासनादेश संख्या 7732/28-5-83 सा./83 दिनांक 23 दिसम्बर 1983 के (*स्वीकृत राशि `40.80 लाख*) सापेक्ष किया गया था। उक्त प्रभाग के आगें किमी 11 से 14 मे पक्का किए जाने का कार्य शासनादेश संख्या 1026/28-5-91-1 सा/90 दिनांक 18 मार्च 1991 (*स्वीकृत राशि `18.00 लाख*) के सापेक्ष किया गया था तथा अवशेष भाग का निर्माण राज्य गठन से पूर्व किया गया था। उपरोक्त से स्पष्ट है कि मार्ग का नव-निर्माण कम से कम 30-40 वर्ष पूर्व किया गया था।

लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि खंड द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण के लगभग 40 वर्षो के पश्चात 2015-16 में वर्तमान दरों (2016) पर कुल `83.50 लाख का प्रतिकर की पत्रावली गठित की गयी एवं उच्च अधिकारियों से गलत एवं आधे अधूरे तथ्यो[1] के आधार पर `83.50 लाख की स्वीकृति प्राप्त कर भूमि प्रतिकर वितरण किया गया। आगणन की विस्तृत जांच में पाया कि, उक्त `83.50 लाख मे से भूमि प्रतिकर (`65.08 लाख) के अतिरिक्त `18.41 लाख का भुगतान ऐसी मदों [क्षतिग्रस्त वृक्षो के प्रतिकर[2] (`2.31 लाख) दबान प्रतिकर[3] (`3.98 लाख) और Slip सफाई (*`12.13 लाख)] हेतु किया गया है*, जोकि 40 वर्ष पूर्व मार्ग निर्माण के समय ही क्षतिग्रस्त/घटित हुए थे तथा वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं/सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि 40 वर्ष पूर्व में अधिग्रहित भूमि के भूमि प्रतिकर वितरण एवं अन्य प्रतिकर से संबन्धित कोई भी अभिलेख खंड में उपलब्ध नहीं है। खंड में मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण कास्तकारों से `10 के Non-Judicial-Stamp paper पर इस आशय का शपथ पत्र के साथ कि पूर्व में प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है के आधार पर प्रतिकर का वितरण किया गया है।

अतः काश्तकार द्वारा प्रतिकर के मांग की यथार्थता सुनिश्चित किए बिना शपथ पत्र के आधार पर प्रतिकर वितरित किया जाना अनियमित है। भूमि प्रतिकर के अतिरिक्त अन्य प्रतिकर (क्षतिग्रस्त वृक्ष, दबान एवं स्लिप सफाई) के दावे की वास्तविकता एवं यथार्थता को सुनिश्चित/सत्यापित किए बिना भुगतान किया जाना वित्तीय औचित्य के मानको के विरुद्ध है तथा शासकीय धन का दुरुपयोग है। क्षतिग्रस्त वृक्ष, दबान एवं स्लिप सफाई के क्लैम/दावे एवं उसके सापेक्ष किया गया भुगतान प्रामाणिक प्रतीत नहीं हो रहे है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, काफी लंबे समय से कास्तकारों

द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी अतः खंड में मुआवजे की पत्रावली गठित कर राजस्व विभाग के अधिकारियों से सत्यापित करने के उपरांत मुआवजा का भुगतान किया गया। क्षतिग्रस्त वृक्ष, दबान एवं स्लिप सफाई के संबंध मे अवगत कराया गया कि तत्समय मार्ग पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया था।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या मे भी यही उल्लेख किया गया है कि "काश्तकारों से वांछित प्रतिकर पूर्व में नहीं प्राप्त किए जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया गया है"। क्षतिग्रस्त वृक्ष, दबान एवं स्लिप सफाई संबंध में खंड द्वारा पूर्व में किए गए सत्यापन संबंधी कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया अतः खंड का उत्तर मात्र कल्पना है।

अतः लगभग 40 वर्ष पूर्व निर्मित मार्ग हेतु अधिग्रहित भूमि के अभिलेख न उपलब्ध होने पर कास्तकारों द्वारा प्रतिकर की क्लेम/मांग की वैधता/वास्तविकता एवं प्रमणिकता सुनिश्चित किए बिना मात्र शपथ पत्र के आधार पर कुल `83.50 लाख का प्रतिकर वितरित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[1] आगणन के प्रतिवेदन में प्रशासनिक स्वीकृति, आवंटित धनराशि आदि से संबन्धित विवरण का उल्लेख किया ही नहीं गया है। तकनीकी स्वीकृति से संबन्धित विवरण के अंतर्गत वर्ष 1983 में पुनर्निर्माण (Reconstruction & Improvement work)हेतु प्राप्त स्वीकृति का उल्लेख किया गया है किन्तु स्वीकृत धनराशि एवं मार्ग की लंबाई का विवरण वर्ष 1991 की स्वीकृति (Painting Work) से संबन्धित है।

[2] मार्ग निर्माण हेतु अर्जित रकबे में स्थित पेड़ो हेतु प्रतिकर का भुगतान।
[3] मार्ग निर्माण के दौरान मलवा काश्तकार के खेतो में आ जाता है, उक्त मलवा की सफाई कर पुनः खेतो को फसल योग्य बनाने हेतु काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान।

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-1: शासन से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना मूल स्वीकृत कार्य से इतर 1.80 किमी. लिंक मार्ग के निर्माण पर अनियमित व्यय, `47.54 लाख

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खंड-6) का नियम-316(1) प्रविधानित करता है कि किसी प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य में बदलाव व परिवर्तन के लिए उसी प्रशासकीय विभाग की पुनरीक्षित स्वीकृत प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जिसके द्वारा मूल प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गई हो।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.), बड़कोट (उत्तरकाशी) के अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया था कि खण्ड द्वारा 'कंडारी – नोगाँव गोडर' मोटर मार्गकिनिर्माण में आंशिक परिवर्तन हेतु उपरोक्त वर्णित मूल वित्तीय नियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। 15 किमी. लम्बे इस मोटर मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा शासनादेश सख्या-54/लो.नि.वि.-2/04-1 (प्रा.आ.)/04 दिनांक 05-02-2004 के माध्यम से `254.70लाख हेतु प्रदान की थी और मुख्य अभियन्ता द्वारा केवल प्रथम 5.75 किमी. भाग हेतु `111.56 लाख की आंशिक तकनीकी स्वीकृति इस तथ्य के आधार पर प्रदान (जून 2007) की थी कि मार्ग का यह भाग सिविल/गाँव वालों की नाप भूमि में पड़ता है जबकि इससे आगे का शेष भाग (9.25 कमी.) आरक्षित वन भूमि में पड़ता है जिसके लिए वन भूमि हस्तांतरण प्रपत्र तैयार किए जा रहे है।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि खण्ड द्वारा उक्त मोटर मार्ग के 5.75 किमी. भाग के निर्माण उपरांत उपरोक्त वर्णित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति दिनांक 05-02-2004 `254.70 लाख के अधीन ही मार्ग के 1.80 किमी. विस्तार हेतु अक्तूबर 2014 में `47.54 लाख के लागत की एक अन्य तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था जिसके एक बार फिर से प्रमाणित किया गया था कि मार्ग का यह सम्पूर्ण भाग(1.80 किमी.) भी गाँव वालों की नाप भूमि में पड़ता है। आगे की जांच में पाया गया था कि वास्तव में मार्ग के इस 1.80 किमी. भाग का निर्माण खमुन्डी-मल्ली नामक गाँव को जोड़ने हेतु लिंक मार्ग के रूप में किया गया था जबकि मार्ग को पूर्व स्वीकृत संरेखण के तहत नोगाँव गोडर की ओर निर्माण किए जाने हेतु आवश्यक 9.25 किमी. आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण की प्रगति आज भी शून्य थी। यह भी कि खण्ड द्वारा इस लिंक मार्ग के निर्माण के लिए उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप शासन की कोईपुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत प्राप्त नहीं की गई थी। इसप्रकार मूल स्वीकृत कार्य से इतर 1.80 किमी. लिंक मार्ग के निर्माण पर किया गया पूर्ण व्यय `47.54 लाख अनियमित सिद्ध होता है।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा तथ्यों को स्वीकारते हुये उत्तर दिया गया था कि पूर्व स्वीकृति के अधीन ग्राम खबन्डी-मल्ली पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाया था जिसे मोटर मार्ग से जोड़े जाने हेतु अत्यन्त दबाव था,अतः पूर्व स्वीकृत संरेखण में सूक्ष्म परिवर्तन करते हुए सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उत्तर संतोषजंक नहीं था क्योंकिकार्य में इस बदलाव के लिए शासन की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत प्राप्त किया जाना भी आवश्यक था।

अतः शासन से पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त किए बिना मूल स्वीकृत कार्य से इतर उक्तलिंक मार्ग के निर्माण पर किए गए `47.54 लाख के अनियमित व्ययका यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:2- अनुबंध के अनियमित प्रबंधन के परिणामस्वरूप कार्य न पूर्ण किए जाने एवं 1.79 करोड़ लागत का अनुबंध न गठित किया जाना, लागत `464.63 लाख।

शासन द्वारा रिखाऊ खड्ड से रिखाऊ गाँव तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति[4] `464.63 लाख की प्रदान (10/2016) की गयी। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र (लो. नि. वि.) नई टिहरी खंड द्वारा दो भागो[5] में कुल `464.63 लाख की प्रदान की गयी। निर्माण कार्य वर्तमान में `241.92 लाख के व्ययोपरांत प्रगति में है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड (लो. नि. वि.), बड़कोट, उत्तरकाशी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (जनवरी 2019) मे निर्माण कार्य के प्रबंधन, और अनुबंध गठन मे निम्न व्यापक कमियाँ/अनियमितता पायी गयी।

1- खंड द्वारा स्वीकृत लागत `4.65 करोड़ के सापेक्ष मात्र `2.96 करोड़ का ही अनुबंध गठन किया गया है। अधिप्राप्ति नियमो के अंतर्गत `1.50 करोड़ से ऊपर लागत के कार्यो हेतु ई-निविदा की कार्यवाही की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि खंड द्वारा अधिप्राप्ति नियमो के विरुद्ध रु 2.92 करोड़ के कार्यो हेतु कुल 12 भाग (**संलग्नक-I**) में विभक्त कर अनुबंध का गठन किया गया। स्वीकृति से दो वर्ष पश्चात भी वर्तमान तक पूरी लंबाई मे पहाड़ कटान का कार्य किया गया है तथा मात्र 2.00 किमी लंबाई में पार्ट-II कार्यो हेतु अनुबंध का गठन किया है। पहाड़ कटान का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं पूर्ण किए जाने के कारण अवशेष `1.72 करोड़ लागत के कार्यो की निविदाएँ आमंत्रित नहीं की जा सकी।

2- अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्रस्तर संख्या-47 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर बिना कोटेशन के आधार पर मात्र `***2.50 लाख*** *तक के कार्य करा सकते है"। लेखा परीक्षा जांच मे पाया कि,* खंड द्वारा उपरोक्त प्रावधानित वित्तीय सीमा से अधिक राशि के दो अनुबन्धो [अनुबंध संख्या 170/EE/15-03-2018 (**अनुबंध राशि-`*24.82 लाख*) *एवं 18/*EE/01-06-2018 (**अनुबंध राशि-`*16.11 लाख*)] *का कोटेशन के आधार पर किया गया है।*

3- विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बाज़ार दरों के आधार पर दर अनुसूची (SoR) जारी किया जाता है। निविदा या अनुबंध गठन का आधार SoR ही होता है। लेखा परीक्षा जांच में पाया कि किमी-7(X/S -6/20 से

6/40) हेतु L-1 ठेकेदार द्वारा दी गयी दर (`22.39 लाख) स्वीकृत आगणन की दर (`18.16 लाख) एवं तत्समय लागू दर (Current SoR) से क्रमशः 23.29% और 6.27% अधिक थी। विभागीय दर से उच्च दर पर निविदा प्राप्त होने के बाद भी खंड द्वारा निविदा को निरस्त न कर SoR से इतर Almora Skelton के आधार पर दरों के औचित्यपूर्ण दर्शाकर कार्य के शीघ्र सम्पादन हेतु उच्च दर पर अनुबंध का गठन किया गया, किन्तु वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

जांच में यह भी पाया कि किमी-7 के पहले (किमी- 6) एवं बाद (किमी-8) के किमी में Hill-Side Cutting का अनुबंध उपरोक्त अनुबंध के बाद में गठित किया गया। किमी 6 एवं 8 मे कार्य किए बिना किमी 7 मे मशीन पहुँचना असंभव है। अतः किमी 6 एवं 8 हेतु अनुबंध गठित किए जाने पूर्व उच्च दर पर अनुबंध गठित कर 4.39 लाख का अनौचित्यपूर्ण व्यय किया गया।

अतः अनुबंध के अनियमित प्रबंधन यथा कार्यो को विभक्त करके, कोटेशन के आधार पर अनुबंध गठन एवं उच्च दर पर अनुबंध गठन के बावजूद भी कार्य नहीं पूर्ण किए जा सकने के परिणामस्वरूप रु 1.69 करोड़ लागत का अनुबंध नहीं गठित किया जा सका।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, कार्य के शीघ्र सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या 430/III(2)/18-75(सामान्य)/2000 दिनांक 05/02/2018 में की गयी व्यवस्था के अंतर्गत छोटे-छोटे अनुबंध किए गए। कोटेशन के आधार पर अनुबंध गठन एवं उच्च दर पर अनुबंध गठन के संबंध मे अवगत कराया गया कि कार्य शीघ्र समाप्त किए जाने हेतु उक्त कार्यवाही की गयी है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि उक्त शासनादेश पहाड़ कटान एवं मिट्टी के कार्यो से संबन्धित है। खंड द्वारा पहाड़ कटान के साथ Scupper निर्माण कार्य का भी अनुबंध गठित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त दीवार निर्माण कार्य हेतु भी टुकड़ो में अनुबंध गठित किया गया है। कोटेशन के आधार पर और उच्च दर पर गठित अनुबंध निर्धारित समय अवधि के बाद भी अपूर्ण है।

अतः अनुबंध के अनियमित प्रबंधन के कारण कार्य नहीं पूर्ण किए जाने एवं रु 1.69 करोड़ लागत का अनुबंध नहीं गठित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[4] *पत्रांक संख्या- 2842/III(2)/16-21(प्रा.आ.)/ 2013; दिनांक 20-10-2016 `464.63 लाख*

[5] मुख्य अभियंता टिहरी क्षेत्र (लो. नि. वि.) नई टिहरी के पत्रांक: 9477/09(6)/ बड़कोट(टी. एस.)-टिहरी/16 दिनांक 23/12/2016; (लंबाई-4 किमी/लागत `261.52 लाख); पत्रांक 909/09(06)/ बड़कोट (टी.एस.)- टिहरी/16 दिनांक 20/04/2018 रु261.52 लाख (लंबाई 3.125 किमी/ लागत `203.11 लाख)

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 3 : रु० 35.01 लाख की धनराशि का व्यय वर्तन किया जाना |

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट के माह 3/2018 से संबन्धित वाउचरौं की लेखापरीक्षा (01/2019) के दौरान पाया गया कि खण्ड द्वारा माह 3/2018 मैं मा०मु०मंत्री घोषणा संख्या 1610/2015 के अंतर्गत एस०सी०एस०पी० उपयोजनार्गत निम्न कार्यों पर किए गये व्ययों का भुगतान लेखा शीर्षक 2245 एस०डी०आर०एफ० में प्राप्त आवंटन/ साख सीमासे करते हुये निम्न कार्यों पर भारित किया गया है|

सं०	5054-एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत निष्पादित कार्य का नाम	अनुबंध सं०/ठेकेदार का नाम	वाउचर सं०	धनराशि (रु)	कार्य का नाम जिस पर व्यय भारित किया गया (2245-एस०डी०आर०एफ०)	लेखाशीर्षक जिस में साख सीमा/ आवंटन प्राप्त थी एवं भुगतान
1	नौगाँव मोटर क्लोज़गाव मताड़ी खिर्सुहोते हुये जान्दर तक मार्ग का नव निर्माण पहाड़ कटान एवं स्क्परो का निर्माण कार्य(कि० मी०-2)	58/ईई दि०22/06/2017 श्री तरेपन सिंह रावत	वाउचर सं० 49 दि०15/03/2018	12,62,497/-	एस०डी०आर०एफ०के अंतर्गत दामटा कण्डारी मोटर के कि०मी० 1.00 से 15 तक क्षतिग्रस्त दीवारों एवं पेच मरमत का कार्य	2245-05-101-02-00 (एस०डी०आर० एफ०)
2	नौगाँव मोटर क्लोज़गाव मताड़ी खिर्सु होते हुये जान्दर तक मार्ग का नव निर्माण पहाड़ कटान एवं स्क्परो का निर्माण कार्य कि० मी०-3 X -S(1/40 से 2/40)	118/ईई दि० 25/10/2017 श्री सन्त राम गौर्ड	51 दि०15/03/2018	12,99,200/-	एस०डी०आर०एफ०के अंतर्गत दामटा कण्डारी मोटर के कि०मी० 1.00 से 15 तक क्षतिग्रस्त दीवारों एवं पेच मरमत का कार्य	2245-05-101-02-00 (एस०डी०आर० एफ०)
3.	नौगाँव मोटर क्लोज़गाव मताड़ी खिर्सु होते हुये जान्दर तक मार्ग का नव निर्माण पहाड़ कटान एवं स्क्परो का निर्माण कार्य कि० मी०-1	109/ईई दी०8/9/2017 श्री रजिन्दर सिंह चौहान	50 दि० 15/03/2018	9,39,341/-	एस०डी०आर०एफ०के अंतर्गत रलगाड़ी गंगताड़ी मोटर के कि०मी० 1.00 से 6.00 तक क्षतिग्रस्त सतह पेच मरमत का कार्य	2245-05-101-02-00 (एस०डी०आर० एफ०)
				35,01,038/		

इस प्रकार खण्ड द्वारा 5054-एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत निष्पधित उक्त कार्यों के व्यय का भुगतान कुल रु 35.01 लाख संबन्धित ठेकेदारों को लेखा शीर्षक 2245-05-101-02-00 (एस०डी०आर०एफ०) में प्राप्त सी०सी०एल/ अवमुक्त धनराशिसे करते हुये एस०डी०आर०एफ०के अंतर्गत उक्त कार्यों पर बिना कार्य निष्पादन के ही भारित किया गया है|यानि रु 35.01 लाख का व्यय वर्तन किया गया है|

उक्त की ओर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि प्राप्त आवंटन/साख सीमा विलम्ब से प्राप्त एवं माह मार्च में कार्यों में अधिकतम व्यस्तता के कारण अन्य कार्यों में भुगतान हुआ जिसे अगले माह में ठीक कर दिया गया है|

परंतु खण्ड द्वारा समायोजन हेतु लेखापरीक्षा के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया|खण्ड के उत्तर से ही स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा माह 3/2018 में रु 35.01 लाख का व्यय वर्तन किया गया है | साथ ही खण्ड का उत्तर कि अगले माह मे इसे ठीक कर दिया है के सम्बंध लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए |

अतः उक्त व्यय वर्तन के प्रकरण को उच्च अधिकरियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो 'ब'

<u>प्रस्तर-4:</u> रिलायंस जियो इन्फोटेक से रोड कटिंग चार्जेज़ का कम वसूल किया जाना,`1.128 लाख ।

प्रमुख अभियंता,लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1099/10 प्रकीर्ण-उत्तराखंड/2016 दिनांक 22-09-2016 के माध्यम से विभाग के अधीन पड़ने वाले मार्गों पर दूरसंचार/विधुत विभाग/जल निगम/जल संस्थान एवं अन्य एजेंसियों द्वारा अपने कार्यों के सम्पादन हेतु मार्गों को काटे/खोदे जाने के परिणामस्वरूप हुई क्षति के ऐवज में उन्न एजेंसियों से वसूल किए जाने वाले रोड कटिंग चार्जेज़ का निर्धारण किया गया था। उक्त ज्ञाप के प्रावधानों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में केबिल/पाईप डाले जाने की अनुमति सड़कों की लेपित सतह से 3 मीटर से अधिक की दूरी के लिए होगी जिसके लिए रोड कटिंग चार्जेज़ कच्चे मार्ग हेतु उल्लेखित दरों के अनुसार देय होंगे, जबकि पर्वतीय मार्गों पर केबिल/पाईप डाले जाने की अनुमति सिर्फ हिल-साइड हेतु होगी और रोड कटिंग चार्जेज़ कच्ची या पक्की नाली की निर्धारित दरों के अनुसार देय होंगे। इसके अतिरिक्त मार्गों के लेपित भाग में किए गए कार्यों के लिए रोड कटिंग चार्जेज़ प्रभावित भाग के क्षेत्रफल हेतु निर्धारित दरों के अनुसार होगे।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (लो.नि.वि.),बड़कोट (उत्तरकाशी) के अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया था कि रिलायंस जियो इन्फोटेक द्वारा इस खण्ड के अधीन पड़ने वाले 'फूलचट्टी-जानकीचट्टी' मार्ग के 3.4 किमी भाग में ओ.एफ़.सी. (OpticalFiberCable) बिछाई गई थी जिसके लिए खंडीय अनुमति जुलाई 2017 में प्रदान कर फ़र्म से `32.09 लाख के रोड कटिंग चार्जेज़ वसूल (अगस्त 2017) किए गए थे।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था किखण्ड द्वारा रोड कटिंग चार्जेज़ के रूप में वसूल `32.09 लाख का आंकलन/मांग उपरोक्त वर्णित प्रमुख अभियंता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-09-2016 में निर्धारित हिल-साइड की कच्ची या पक्की नाली की निर्धारित दरों के बजाय क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण हेतु स्वयं द्वार तैयार किए गए आगणन के अनुसार थी। इस संधर्भ में खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार रिलायंस जियो इन्फोटेकद्वारा ओ.एफ़.सी. को के. सी. टाइप नाली व शोल्डर वाले भाग में बिछाया गया था जिसके लिए फ़र्म से `977 प्रति रनिग मीटर की दर से `33.218 लाख रुपए वसूल किए जाने चाहिए थे। इस प्रकार खण्ड द्वारा उक्त मार्ग के रोड कटिंग चार्जेज़ के रूप में फ़र्म से `1.128 लाख कम प्राप्त किए गए थे और लेखा परीक्षा आप्पति को इकाई द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार किया गया था।

अतः फ़र्म से कम वसूल किए गए रोड कटिंग चार्जेज़ `1.128 लाख का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ(	भाग –II (ब (	STAN
1.	94/2010-11	1, 2	1	-
2.	05/2012-13	1	1, 2	-
3.	50/2014-15	1	1,2,3	-
4.	89/2015-16	-	1,2,3,4,5	-
5	16/2017-18	-	1,2,3,4,5,6	01 & 02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई॰ धीरेन्द्र कुमार	अधिशासी अभियन्ता	03/03/2017 से 23/07/2017 तक।
2.	ई॰ जगदंबा प्रसाद रतूड़ी	,,	23/07/2017 से 18/02/2018 तक।
3.	ई॰ आई डी भट्ट	,,	19/02/2018 से 03/03/2018 तक।
4.	ई॰ जगदंबा प्रसाद रतूड़ी	,,	04/03/2018 से 24/08/2018 तक।
5.	ई॰ चन्दन सिंह रावत	,,	25/08/2018 से 02/10/2018 तक।
6.	ई॰ धीरेन्द्र कुमार	,,	03/10/2018 से 05/10/2018 तक।
7.	ई॰ वीरेंद्र सिंह पुंडीर	,,	06/10/2018 से 16/10/2018 तक।
8.	ई॰ सुनील कुमार गर्ग	,,	17/10/2018 से 09/12/2018 तक।
9.	ई॰ डी. सी. नौटियाल	सहायक अभियन्ता	12/12/2018 से 16/12/2018 तक।
10.	ई॰ सुनील कुमार गर्ग	अधिशासी अभियन्ता	17/12/2018 से वर्तमान तक।

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री श्याम सिंह भण्डारी	खण्डीय लेखाधिकारी	07/07/15 से 30/06/18 तक।
2.	श्री शक्ति सुमन	,,	01/07/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट**, **उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकारलेखापरीक्षा)) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2